



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



अमित कुमार पाण्डेय, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

पत्रांक: SHSB/PM/537/2019/.....

सेवा में,

सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति

दिनांक

विषय: जिलान्तर्गत सरकारी अस्पतालों में मरीजों को सुरक्षित एवं सुगम उपचार मुहैया कराने हेतु Stretcher एवं Patient Trolley तथा Wheel Chair की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकारी अस्पतालों में स्ट्रेचर और पेसेन्ट ट्रॉली तथा व्हील चेयर का उपयोग मरीजों को सुरक्षित, आरामदायक और कुशलता से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है, खासकर जब वे खुद चलने में असमर्थ हो। आप अवगत हैं कि गंभीर या घायल मरीजों को तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल के वार्ड, ऑपरेशन थियेटर, डायग्नोस्टिक सेक्शन तक पहुँचाना, सामान्य मरीजों को आंतरिक परिवहन जैसे; एक कमरे से दूसरे कमरे, वार्ड या फ्लोर से दूसरे फ्लोर (एक्स-रे, पैथोलॉजी लैब, आपातकालीन विभाग/वार्ड, आई.सी.यू.) में सुगम एवं सुरक्षित आवागमन/स्थानांतरण हेतु Stretcher एवं Patient Trolley तथा Wheel Chair की अनिवार्यता होती है। आपातकालीन स्थिति में इसकी अनुपलब्धता अथवा उपलब्ध कराने में विलंब होने पर मरीज के Golden Hour का क्षय होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। उक्त उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने के कारण कई अवसरों पर परिजनों को मरीज; खासकर बुजुर्ग मरीज को सहारा देकर अथवा उठा कर ले जाना पड़ता है, जो असुरक्षित एवं मरीज के गरिमा के विरुद्ध है।

2. स्वास्थ्य विभागीय संकल्प ज्ञापांक 110(12) दिनांक 27.01.2023 द्वारा राज्य के सरकारी अस्पतालों हेतु अधिसूचित आवश्यक उपकरणों की सूची- Essential Equipment List (EEL) एवं IPHS मानक के आधार पर विभिन्न स्तर के स्वास्थ्य संस्थानों में Stretcher एवं Patient Trolley तथा Wheel Chair की न्यूनतम उपलब्धता निम्नवत् सुनिश्चित किया जाना है:-

क्रम सं०	अस्पताल का नाम	Stretcher	Patient Trolley	Wheel Chair
1.	जिला अस्पताल	20	19	21
2.	अनुमंडलीय अस्पताल	12	10	07
3.	रेफरल अस्पताल	07	06	07
4.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	07	06	07

3. यह भी अंकनीय है कि अस्पताल की शय्या क्षमता (Bed Capacity) एवं मरीजों की संख्या के अनुसार 10 प्रतिशत अतिरिक्त (Standby) Stretcher एवं Patient Trolley तथा Wheel Chair की उपलब्धता रखा जा सकता है। उक्त उपस्करों की सहायता से अस्पताल कर्मचारी (वार्ड बॉय) मरीजों को





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



कुशलतापूर्वक और बिना किसी शारीरिक तनाव के शिफ्ट कर सकते हैं। अस्पताल के मुख्य द्वार और पार्किंग एरिया के पास 'wheel chair , Patient Trolley, Stretcher ' की उपलब्धता होनी चाहिए, ताकि मरीज को एम्बुलेंस अथवा वाहन से उतरते ही सहायता मिले।

4. अतः अनुरोध है कि जिलान्तर्गत सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में Stretcher एवं Patient Trolley तथा Wheel Chair का अंतर-विश्लेषण (Gap Analysis) करते हुए इसकी समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में स्वयं के स्तर से पहल की जाय। कृपया कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन स्वास्थ्य विभाग एवं राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार को उपलब्ध करायी जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(अमित कुमार पाण्डेय)

ज्ञापांक:- SHSB/PM/537/2019/..7.336....पटना, दिनांक. 22/01/26

प्रतिलिपि:-

- सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- सभी प्रमंडलीय आयुक्त, को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रबंध निदेशक, BMSICL को सूचनार्थ प्रेषित।
- सभी निदेशक, प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक निदेशक

